न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 31/2015 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल विक्रेता
   मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
   स्थाई पता – मं.सं. 1508 बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमति कलादेवी पत्नि श्री अनिल अग्रवाल मालिक
   मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
   स्थाई पता – मं.सं. 1508 बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
3. मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
4. श्री श्यामलाल पिता गोपीलाल अग्रवाल, मालिक
   मैसर्स – चितौडगढ ऑयल मिल, होटल प्रताप पेलेस के पास, सरकारी डाकघर के पास, चितोडगढ
5. मैसर्स – चितौडगढ ऑयल मिल होटेल प्रताप पेलेस के पास, सरकारी डाकघर के पास, चितौडगढ

– प्रार्थी

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 श्री चन्द्रप्रकाश जोशी अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 से 03 की ओर से
3 विपक्षी सं. 04 व 05 स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.06.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में

कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह राणावत ने पीएफए एक्ट 1954 के तहत विपक्षी संख्या 01 श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल विक्रेता मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय बाबत मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड डबल फिल्टर की एक एक ली. की 10 बोतलें कम्पनी पैक रखी हुई थी। उक्त वर्णित मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड डबल फिल्टर में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर पीएफए एक्ट 1954 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 6 में दी एवं रसीद प्राप्त की। लिये गये नमूने को वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा लिया गया खाद्य नमूना का क्रय निर्माता फर्म मैसर्स चितौड ऑयल मिल चितौडगढ से करना बताया एवं साक्ष्य स्वरूप क्रय बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। निर्माता फर्म की संविधान संबंधित जानकारी प्राप्त कर, विपक्षीगण सं. 01 से 05 के विरूद्व लिखित अभियोजन सहमति प्राप्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा को प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा द्वारा सरकार बनाम श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल विक्रेता में अपने आदेश क्र0 253 दिनांक 20.03.2014 द्वारा मूल प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी अति. जिला दण्डाधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाया गया, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2014 में माननीय न्यायालय ने माना है कि " **केन्द्रिय सरकार के नोटिफिकेषन एस ओ. 1855(ई) दिनांक 29.07.2010 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की कुछ धारा को दिनांक 29.07.2010 से ही लागू कर दिया है। जिसमें मिसब्राण्डेड के अपराध मे सबंधित धारा 52 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में थी, उक्त नोटिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से था। "(In exercise of the powers conferred by sub – section (3) 1 of The food safety and standard act, 2006 (32 of 2006), the central Government herby appoints the 29th day of july 2010 as the day on which th provision of Section 19 to 21 (Both inclusive), Sections 23 to 29 (both inclusive),Sections 31 to 35 (Both inclusive), Section 48 to 80 (Both inclusive),Section 89, Section 94 to 98 (Both inclusive) and section 100 of the said Act, Shall come in to force"** अर्थात उक्त नोटिफिकेशन लागू हो जाने के पश्चात दिनांक 29.07.2010 से मिसब्राण्डेड से सबंधित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत दण्डनीय हुआ न कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रकरण में मिसब्राण्डेड का अपराध दिनांक 29.07.2010 के बाद हुआ है। इस न्यायालय की राय में परिवादी खाद्य निरीक्षक भीलवाडा के स्थान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा को अपना परिवार खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धरा 68 के अन्तर्गत न्याय निर्णय अधिकारी अति. जिला दण्डाधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, न कि खाद्य निरीक्षक भीलवाडा द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा में "

अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिह राणावत का निलम्बन हो जाने के कारण श्री संजय सिंह

खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा को उक्त प्रकरण को न्याय निर्णय आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर प्रशासन के समक्ष विपक्षीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्व न्याय निर्णय आवेदन पेश करने की अनुमति दी। स्वीकृति प्राप्त कर विपक्षीगण संख्या 01 से 05 विरूद्व न्यायनिर्णयन आवेदन पेश किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति,व न्यायलय द्वारा लौटाये गये प्रकरण की सभी पत्रावली जिसमें फार्म 6 की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को, वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–7 मेमोरेण्डम, प्राप्त जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट, प्राप्त लिखित अभियोजन सहमति, इस्तगासा की प्रति, न्यायालय द्वारा प्रारित आदेश की प्रति, इत्यादि संलग्न थी, प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.09.2015 को प्रकरण पेश किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 10.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.10.2015 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 01 से तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिह राणावत द्वारा खाद्य नमूना मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड पीएफए एक्ट 1954 के तहत नियमानुसार लिया था। नियमानुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच हेतु भिजवाया गया था। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में लिखित अभियोजन सहमति प्राप्त कर प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा द्वारा आदेश प्रारित कर निर्देश दिया कि "केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन एस. ओ. 1855(ई) दिनांक 29.07.2010 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की कुछ धारा को दिनांक 29.07.2010 से ही लागू कर दिया है। जिसमें मिसब्राण्डेड के अपराध मे सबंधित धारा 52 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में थी, उक्त नोटिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से था। "In exercise of the powers conferred by sub – section (3) 1 of The Food Safety and Standard Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 29th day of July 2010 as the day on which th provision of Section 19 to 21 (both inclusive), Sections 23 to 29 (both inclusive), Sections 31 to 35 (both inclusive), Section 48 to 80 (both inclusive),Section 89, Section 94 to 98 (both inclusive) and Section 100 of the said Act, shall come in to force."

अर्थात उक्त नोटिफिकेशन लागू हो जाने के पश्चात दिनांक 29.07.2010 से मिसब्राण्डेड से संबंधित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत दण्डनीय हुआ न कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रकरण में मिसब्राण्डेड का अपराध दिनांक 29.07.2010 के बाद हुआ है। इस न्यायालय की राय में परिवादी खाद्य निरीक्षक भीलवाडा के स्थान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा को अपना परिवार खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 के अन्तर्गत न्याय निर्णय अधिकारी अति. जिला दण्डाधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। न कि खाद्य निरीक्षक भीलवाडा द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवाारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाडा में।

उक्त आदेशों की अनुपालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने की स्वीकृति प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन पेश किया गया। चूंकि लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया हैं जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन है। जिसकी सजा दण्डनीय धारा 52 में वर्णित है। अतः विपक्षीगण संख्या 01 से 03 के द्वारा मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड़ का विक्रय एवं विपक्षी सं. 04 व 05 के द्वारा मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड़ का निर्माण एवं विक्रय किया गया है। अतः इन पर जुर्माना अध्यारोपित करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व पत्रावली मे प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रतिउत्तर में विपक्षी सं. 01 से 03 द्वारा लिये गये खाद्य नमूनें का क्रय निर्माता फर्म विपक्षी सं 04 व 05 से पैक अवस्था में क्रय कर, पैक अवस्था में ही विक्रय करना बताया एवं प्रकरण में उनके द्वारा वारण्टी/बिल प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रकरण में बरी करने का निवेदन किया गया हैं।

विपक्षी संख्या 04 से 05 निर्माता फर्म के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर न्यायलय को अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के तहत समय अवधि 3 वर्ष है एवं प्रकरण 3 वर्ष बाद न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही डबल फिल्टर्ड शब्द को भी मिसब्राण्डेड की श्रेणी नही होना बताया। साथ ही विपक्षी ने निवेदन किया कि पूर्व में भी काफी समय से न्यायालय की ट्रायल को भुगत रहा है। अतः प्रकरण में बरी करने का निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार ने विरोध करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त नमूना पीएफए एक्ट के तहत लिया गया था एवं नियमानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज करवाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये गये। उसी आदेश की अनुपालना में प्रकरण श्रीमान के न्यायालय मे पेश किया गया। अतः समस्त विपक्षीगणो के विरूद्व मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड का निर्माण एवं विक्रय करने के लिए शास्ति अध्यारोपित करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। **"केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन एस. ओ. 1855(ई) दिनांक 29.07.2010 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की कुछ धारा को दिनांक 29.07.2010 से ही लागू कर दिया है। जिसमें मिसब्राण्डेड के अपराध मे सबंधित धारा 52 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में थी, उक्त नोटिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से था।** "In exercise of the powers conferred by sub – section (3) 1 of The Food Safety and Standard Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 29th day of July 2010 as the day on which th provision of Section 19 to 21 (both inclusive), Sections 23 to 29 (both inclusive), Sections 31 to 35 (both inclusive), Section 48 to 80 (both inclusive), Section 89, Section 94 to 98 (both inclusive) and Section 100 of the said Act, shall come in to force." **अर्थात उक्त नोटिफिकेशन लागू हो जाने के पश्चात दिनांक 29.07.2010 से मिसब्राण्डेड से संबंधित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत दण्डनीय हुआ न कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रकरण में मिसब्राण्डेड का अपराध दिनांक 29.07.2010 के बाद हुआ है।** विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा

चूंकि विक्रय किया गया मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड का क्रय पैक अवस्था में विपक्षी सं. 04 व 05 निर्माता फर्म से किया गया है एवं उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप बिल/वारण्टी प्रस्तुत की गई है। अतः विपक्षी सं. 01 से 03 को प्रकरण में बरी किया जाता हैं एवं निर्माता फर्म विपक्षी सं. 04 व 05 द्वारा मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड चितौड का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन हैं। इस कृत्य के लिंये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्डेड खाद्य प्रदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 04 व 05 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 04 एवं 05 पर संयुक्त रूप से 30,000/–रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 04 व 05 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.06.17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल विक्रेता
मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
स्थाई पता – मं.सं. 1508 बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
5 श्री मति कलादेवी पत्नि श्री अनिल अग्रवाल मालिक मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा स्थाई पता – मं.सं. 1508 बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
6. मैसर्स – आनन्दीराम रामपाल किराणा मर्चेन्ट, बस स्टेण्ड बनेडा जिला भीलवाडा
7. श्री श्यामलाल पिता गोपीलाल अग्रवाल, मालिक, मैसस्र – चितौडगढ ऑयल मिल होटल प्रताप पेलेस के पास सरकारी डाकघर के पास चितोडगढ
8. मैसस्र – चितौडगढ ऑयल मिल होटल प्रताप पेलेस के पास सरकारी डाकघर के पास चितोडगढ

27/6/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा